राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 3(1)साप्र/2/2016 जयपुर, दिनांक 4/11/2016

–: संशोधित आदेश :–

इस विभाग के आदेश दिनांक 3.11.2016 के अतिक्रमण में डॉ0 रमेश कुमार गोदारा, उप निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर की तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 185/2016 है तथा सेवानिवृति दिनांक 30.9.2031 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुये **'आउट ऑफ टर्न"** के आधार पर **राजकीय आवास संख्या III/113, गांधीनगर, जयपुर किया गया था, जिसके स्थान पर राजकीय आवास संख्या III/120, गांधीनगर, जयपुर** का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/संशोधन किया जाता है :–

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. **डॉ0 रमेश कुमार गोदारा, से "कॉमन सुविधा" राशि रूपये 225/–(अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होगें।**
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

–sd–

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 जिला कलेक्टर, जयपुर।
2 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 437/एम/जीएडी/2016 दिनांक 27.10.2016 के कम में।
6 अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड–3/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0 निगम लि0 गांधीनगर, जयपुर।
8 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
9 संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
10 सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर –कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
11 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।
12 संबंधित अधिकारी।
13 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

6

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.3(1)साप्र / 2 / 2015 जयपुर, दिनांक 4/11/2016

–: आदेश :–

श्री सुरेन्द्र कुमार बागडी, नर्स ग्रेड–II, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर जिनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 388 / 2013 एवं सेवानिवृति दिनांक 31.7.2039 है को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.2016 द्वारा आवंटित किये गये राजकीय आवास संख्या **जीए / III / टी–2 / 31, विधाधर नगर,जयपुर** के स्थान पर राजकीय आवास संख्या **जीए / III / टी–2 / 103 विधाधर नगर,जयपुर** का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन / परिवर्तन किया जाता है :–
शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवास के **रिक्त होने की तिथि से** 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी / बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता / आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगीः–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय / पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

D:\R.K.Sonwal\Allotment Order 2013\Allotment III.doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 जिला कलेक्टर, जयपुर।
2 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
6 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड–3/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0 निगम लि0 गांधीनगर, जयपुर।
7 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8 संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
9 सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर –कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
10 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।
11 संबंधित अधिकारीगण।
12 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव